

प्रारूप-स

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अरोपित अर्धदण्ड का विवरण माह का नाम- अक्टूबर, 2023

क्र० सं०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति ( यदि कोई हो )	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹ 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में भारतीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिल्य कर, मुरादाबाद पर बाही को सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति ₹0-5000.00 का अर्धदण्ड दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिल्य कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के नेतन से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिल्य कर इटावा को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिल्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के सम्बन्ध उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिल्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिल्य कर इटावा को अनुत्त्वार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिल्य कर इटावा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिल्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्धदण्ड जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशा) वाणिल्य कर मुरादाबाद के पत्र सं० 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को अर्धदण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ( प्रशासन) वाणिल्य कर	शून्य

02	राज्य विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री रमन, सहा0आयु0भाका0 एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	19-06-2018	₹0 25000.00	अधिरोधित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को इस स्तार से पत्र संख्या- 800 दिनांक 07-03- 2020 प्रेषित किया गया था । जिसके सम्बन्ध में दूरभाषा पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मा0 आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया गया है । जिसकी सूचना जिलाधिकारी, बिजनौर की सेवा में भी प्रेषित की गयी है ।	शून्य	मुरादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा0 आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आरोपित अर्थदण्ड रुपये. 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुनः पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पत्रांक- 2221 दिनांक 31-03-23 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जमा का प्रमाण- पत्र होते ही साक्ष्य महादेव की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा ।	शून्य
----	--	--	------------	-------------	---	-------	--	-------



03	राज्य कर	श्री दिव्यमूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर	16.07.2018	25000.00	अधिरोपित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु संबंधित खण्ड के डि०कमि० को इस स्तर से पत्र सं०- 1153 दिनांक 01.03.2023 प्रेषित किये गये है।	00	शून्य	अधिरोपित अर्थदण्ड के संबंध में मा० जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्त हेतु इस स्तर से मा० सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यवेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25.02.2021 से किया गया है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर खण्ड-2, नजीबाबाद महोदय को पत्रांक- 801 दिनांक 17.02.2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यमूर्ति, उपायुक्त राज्य कर खण्ड-4, मेरठ महोदय को पत्रांक- 140 दिनांक 09.05.2014 व पत्रांक- 1151 दिनांक 01.03.2023 को अर्थदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये है।	शून्य
04	राज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(क०व०)/ अधिकारी, वा०क० गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	शून्य	मा० उ०प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	
05	राज्य कर	श्री जे०पी०सिंह, से०नि० डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा०क० गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	शून्य	मा० उ०प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	
06	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि०कमि० (प्रशा०) वा०क० झांसी।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सभ्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यवेदनपत्र मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सभ्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०-12482/सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है।	

(कमलेश कुमार)  
उपायुक्त (जनसूचना)/सहायक जनसूचना अधिकारी  
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।